मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त–सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 19 सितम्बर, 1995 (भाद्र 28, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 20 की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1-3-93-एक-आर.प्र. दिनांक 5 अगस्त, 1995 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, बिलासपुर के कोरबा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा अनेक हितग्राहियों के भू-खण्ड निरस्त किये जाने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बाबूलाल जैन, रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम गुराड़िया में एक अनुसूचित जाति के युवक की नृशंस हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री परसराम धुर्वे, सभापति, आश्वासन समिति का अष्टम्, नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सलाह (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 31 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 1995 (क्रमांक 30 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 32 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश के आदिवासी जिले बस्तर में स्थित बैलाडीला की लौह अयस्क खदान को विदेशी कम्पनी को दिये जाने के संबंध में सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, कैलाश जोशी, बनवारीलाल अग्रवाल, बाबूलाल गौर, रामलखन शर्मा, बच्चन नायक तथा श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

7. प्रतिवेदन पर चर्चा

2 घन्टे

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग की द्वितीय रिपोर्ट वर्ष 1985-86 तथा आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 में की गई अनुशंसाओं के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन पर चर्चा.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 18 सितम्बर, 1995